संघर्ष के 20 वर्ष

NASVI

www.nasvinet.org

नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (नासवी)

टाउन वेंडिंग कमीटी

क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण पुस्तिका

101-102, पहली मंजिल, सागर काम्प्लेक्स, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग,
प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092

Tel:-011-47553013, Website:-nasvinet.org, Email id:-office@nasvinet.org,
facebook.com/nasviindia, twitter.com/nasviindia

National Association of Street Vendors of India (NASVI)

विषय सूचि:-

1. **परिचय** 3-4
2. **अधिनियम के प्रावधानों के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी** 4-5
3. **टाउन वेंडिंग समितियों के महत्व** 5-6
4. **टाउन वेंडिंग समितियों के गठन की प्रक्रिया** 6-9
5. **टाउन वेंडिंग समिति की बैठक** 9-10
6. टाउन वेंडिग कमिटी व अध्यक्ष एवं सदस्यों की भूमिका 10-11
7. सामुदायिक संगठन व गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधि 12-12
8. फुटपाथ दुकानदार प्रतिनिधि/टाउन लेवल फेडरेषन के प्रतिनिधि 12-13
9. लीगल सेल एवं हितों का निपटारा 13-13
10. फुटपाथ दुकानदार कानून-2014. एक अवलोकन 13-13
11. नगर विक्रय समिति (टीवीसी) का गठन 13-14
12. फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण व वेंडिग प्रमाण पत्र 14-14
13. फुटपाथ दुकानदारों का पुर्नस्थापित या बेदखल 14-14
14. शुल्क व दंड व जब्ती 15-15
15. **स्ट्रीट वेंडिंग नियमन की अवधारणा (ड्राफ्ट)** 15-15
16. **वेंडिंग जोन चिन्हित करना** 16-16
17. **नो - वेंडिंग जोन की घोषणा निम्नलिखित सिद्धांतों के अधीन होगा** 16-17
18. **वेंडिंग जोन एवं वेंडिंग जोन की धारक क्षमता (ड्राफ्ट)** 17-17
19. **प्रतिबंध फ्री वेंडिंग जोन** 17-18
20. **प्रतिबंधित वेंडिंग जोन** 18-18
21. आप के सवाल एवं संभावित जवाब 18-20

परिचय:

असंगठित अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो कि किसी भी क़ानून के तहत सरकार द्वारा विनियमित नहीं है|यह एक निर्विवाद तथ्य है कि असंगठित क्षेत्र देश की राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है | अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कई समूह है जिसमे स्ट्रीट वेंडर्स को एक अभिन्न हिस्सा माना गया है |

स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकरों बिना किसी स्थायी संरचना के निर्माण किये वगैर जो जनता को सर्वसुलभ स्थान पर एवं सस्ते दाम पर सामान वेचते है| स्ट्रीट वेंडर्स आम तौर पर लोग हैं , जिन्हें कोई कौशल या कम कौशल, शिक्षा का अभाव एवं आर्थिक रूप से कमजोड होते है| प्रायः ये रोजगार के तलाश में गावों से शहरों में आते है, एवं स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवसाय के रूप में अपना लेते है, क्योंकि इसमें कम कौशल, कम पूंजी, रोजगार शुरू करने हेतु कोई बाधा नहीं होती एवं यह गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए एक साधन प्रदान करता है।

समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाने के बावजूद भी स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी क्षेत्रों में एक बाधा के रूप में देखा जाता कि वे पैदल चलने वालों और यातायात में बाधा डालते है और सुंदरता और शहरों की साफ-सफाई को बाधित करते है एवं इसलिए उन्हें शहरी योजना में भी शामिल नहीं किया जाता | इन्हें स्थानीय अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा बेदखली के खतरे एवं माल की जब्ती जैसी कई तरह की चुनौतियों व भय का सामना करना पड़ता है | इन परिस्ताथियों से निपटने के लिए ये कई लोंगो को घुस देते है जो इनके मेहनत से अर्जित कियेहुएपैसे में सेहीजाताहै| इन समस्याओं में स्ट्रीट वेंडर्स अपनी आजीविका कमाने एवं परिवार का भरण पोषण करने को लेकर एक अनजाने खतरे के साये में जिंदगी व्यतीत करता है|

देश में गरीबी में वृद्धि के साथ, भारत के प्रमुख शहरों में शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, स्ट्रीट वेंडर्स की दुर्दशा की गंभीरता में वृद्धि एवं मशरूम वृद्धि को एक साथ देखा जा सकता है | स्ट्रीट वेंडिंग को एक व्यवसाय के रूप में नियमन की मांग, असंगठित क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में रूपांतरित करेगा|

2014 में, स्ट्रीट वेंडर (आजीविका की सुरक्षा एवं स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम,अस्तित्व में आया जो स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों को संरक्षित करने एवं उनके रोजगार को उचित प्रतिबंध के साथ विनियमन करता है|

भारत सरकार के शहरी गरीबी एवं उपशमन मंत्रालय/विभाग ने **स्ट्रीट वेंडर्स के नियमन** हेतु **'शहरी फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति 2004'** पारित की।इस नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है की फुटपाथ दुकानदारों को उनके योगदान के लिए पहचान मिले तथा इसे शहरी गरीबी उपशमन की पहनी कड़ी मानी जाती है।

2009 में भारत सरकार ने शहरी फेरी वालों की राष्ट्रीय नीति 2004 को संशोधित किया तथा सभी राज्यों में क्रियान्वयन के लिए भेजा गया।भारत सरकार द्वारा **एक *मॉडल स्ट्रीट वेण्डर''जीविकोपार्जन की सुरक्षा'' एवं फेरीवालों का नियमन बिल, 2009*** का भी प्रारुप बनाया गया है। इस मॉडल कानून को राज्यों में भी भेजा गया है ताकि वे राज्य स्तरीय **कानून** भी तैयार कर सके। व्यवहारिक रूप में यह देखा गया कि राज्यों में इस नीति व मॉडल बिल को लकर विशेष कार्य नहीं हो रहे थे, **नासवी** की माँग व सर्वोच्च न्यायाल के निर्देश पर केन्द्रीय कानून 2014 को पारित किया गया।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी

स्ट्रीट वेंडर कानून - 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का प्रावधान है जो स्ट्रीट वेंडर्स से सम्बंधित मुद्दे पर गौर करेगा| प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार के तहत एक टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन किया जायेगा, यदिजरूरत है तो स्थानीय प्राधिकारी के तहत प्रत्येक वार्ड या ज़ोन स्तर पर भी गठित किया जायेगा |

स्ट्रीट वेंडर कानून - 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी एक बहु हितभागी संवैधानिक समिति है| प्रत्येक टाउन वेंडिंग कमेटी, नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी , एवं अन्य सदस्यों की उतनी ही संख्या से मिलकर बनेगी जिसका निर्धारित कानून अंतर्गत किया गया है| राज्य सरकार द्वारा नामांकित, स्थानीय प्राधिकार का प्रतिनिधि , स्थानीय प्राधिकार के चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, पुलिस, स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधि , बाजार संगठनों, व्यापारियों संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, निवासी कल्याण संघों , बैंकों और इस तरह के अन्य हितभागी जो उचित हो|

गैर सरकारी संगठनों एवं समुदाय आधारित संगठनों के नामित प्रतिनिधि की संख्या 10 % से कम एवं एवं स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधि 40 % से कम नहीं होंगे जिनका चुनाव स्ट्रीट वेंडरो द्वारा ही किया जायेगा, इसमें एक तिहाई महिला सदस्य भी होंगी, अनुसुचित जाति/जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग जन दिए जाये मानदंड के अनुसार होंगे|

फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण

टाउन वेडिंग कमीटी अपने क्षेत्रान्तर्गत (नगर निकाय) सभी वर्त्तमान फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण करवायेगी साथ–साथ ही उनका सत्यापन, अभिलेख रख–रखाव सुरक्षित रखेगी। यह सर्वेक्षण डिजीटल फोटोग्राफी वायोमैट्रिक या भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के माध्यम से की जा सकती है। सर्वेक्षण कैम्प, वेडर्स के सुविधानुसार मार्केट क्षेत्र या नगर के कार्यालय में होनी चाहिए। सर्वेक्षण के पूर्व, फुटपाथ दुकानदार संगठनों व मार्केट कमीटी के माध्यम से, सूचना तंत्रों का इस्तेमाल कर एवं ध्वनि प्रसारण यंत्रों के व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि कोई फुटपाथ दूकानदार सर्वेक्षण से न छुटे।सर्वेक्षण के उपरांत यशा" शीघ्र टाउन वेडिंग कमीटी को पहचान पत्र व वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करना

अधिनियम २०१४ के तहत राज्यों में टाउन वेंडिंग समिति के गठन के लिए कोई मानक प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, राज्य व निकायो ने टाउन वेंडिंग समिति के गठन के लिए अलग अलग तरीके अपनाये है|

टीवीसी,स्ट्रीट वेंडर्स से जुडे हुते सभी मुद्दों पर योजना के निर्माण में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रदान करता है | इसी लिए टीवीसीमें स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य खुद स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य हितभागी होते है| स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाये गए सभी योजना या निर्णय अमान्य होंगे यदि वह TVC के सुझावों के अनुसार नहीं है या उनके मंजूरी के वगैर लिए गए हो| स्थानीय प्राधिकार को भी वेंडिंग व गैर वेंडिंग जोनों के निर्धारित से पहले टीवीसीके मंजूरी लेने की जरूरत है|

टीवीसी की जिम्मेवारी होगी की वो अपने क्षेत्रान्तर्गत 5 वर्षो में एक बार सभी उपस्थित स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण करवाए। साथ ही सभी चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग ज़ोन की क्षमता व योजना के अनुसार समापयोजन की व्यवस्था करेगा।

टीवीसी सभी चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करेगा साथ ही उसे कुछ मामले में वेंडिंग सर्टिफिकेट को रद्द करने व निलंबित करने का भी अधिकार है|

टीवीसीसभी पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स का सभी आवश्यक रिकॉर्ड जैसे प्रमाण पत्र जारी करने के तिथि, वैधता, व्यवसाय की प्रकृति, स्टाल संख्या, रखेगी |टीवीसीअपनी गतिविधियों का सामाजिक अंकेक्षण भी करवाएगी |

टाउन वेंडिंग समितियों के महत्व

टाउन वेंडिंग समिति, स्ट्रीट वेंडर कानून 2014 का केंद्रीय स्तंभ है, जिस पर शहर/ नगर निकाय में स्ट्रीट वेंडरों के रोजगार को सुरक्षित, नियमित एवं नियंत्रित करने की जिम्मेवारी है। स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका की रक्षा करने, उचित प्रतिबध लगाने, यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की चिंताओं के समाधान के लिए यह समिति निर्णायक भूमिका है।

अधिनियम के अनुसार, स्ट्रीट वेंडिंग के नियमन में टाउन वेंडिंग समिति को एक निर्णायक भूमिका निभाने की आवश्यकता हैं| ये एक माध्यम है जिसके जरिए स्ट्रीट वेंडिंग पेशे का संगठित व व्यवस्थित किया जा सकता है| यह एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है जो समाज के वंचित वर्ग को शहरी योजना का अंग बना सकते है एवं स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित कर सकते है|

इस अधिनियम में के मुताबिक TVC न केवल स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वल्कि स्ट्रीट वेंडर्स पर हो रहे लगातार प्रतारणा से भी मुक्ति दिला सकते है| पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया किसी भी वेंडर्स को उजड़ने, सामानों की जब्ती करने एवं किसी प्राधिकार द्वारा कोई अन्य आदेश से बचा सकती है |

TVC, स्ट्रीट वेंडर्स एवं अन्य प्राधिकरणों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ वेंडर्स अपने जरुरतो, शिकायतों, एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते है| यह प्लेटफार्म स्ट्रीट वेंडर्स को खुद अपने भाग्य का फैसला करने के लिए एक अवसर दिया जाता है |

TVC का से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित मामलों में समावेशी शहरी योजना और अधिक सार्थक वार्ता के पहल कर सकते है| इस प्रकार TVC हमारी लंबे समय से लंबित जरूरत "हमें बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं'को पूरा करेगा |

टाउन वेंडिंग समितियों के गठन की प्रक्रिया

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014, अध्याय 7 – धारा 22 के अंतर्गत टाउन वेंडिंग समितियों के गठन की प्रक्रिया वर्णित है | यह पूरे अधिनियम की आत्मा है|

जैसा की पहले बताया जा चूका है की टाउन वेंडिंग समिति के गठन की कोई मानक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई| राज्यों ने टाउन वेंडिंग समितियों के गठन की प्रक्रिया राज्य द्वारा बनाये गए नियमावली के अनुरूप किया है| वर्ष 2017-18 के दौरान कई राज्यों में कानून के धारा 36 के अंतर्गत राज्य नियमावली बनाई गई है| बिहार में एक अधिसुचना के तहत ही टाउन वेंडिंग समितियों का गठन किया गया है| प्रत्येक राज्य जिन्होंने नियमवाली तैयार किये है , टीवीसी के गठन के लिए सदस्यों का एक अलग संख्या को निर्दिष्ट किया है |कई राज्यों में स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों के चुनाव, चुनावी पद्दित्ति से किया है| टीवीसी के गठन की प्रक्रिया लम्बी व जटिल नहीं है, यदपि एक पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से स्ट्रीट वेंडिंग के नियमन के लिए इसमें सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरुरत है| कई राज्यों ने जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई है वो निम्न है –

- टीवीसी चुनाव के संबंध में अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, ताकि आम जनता को इस तरह की कार्यवाही के बारे में जानकारी हो
- स्ट्रीट वेंडर्स को, वेंडर्स की जनसंख्य के बीच से प्रत्याशियों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है
- प्रत्याशि नामांकन पत्र को प्रासंगिक दस्तावेज के साथ भर का जमा करेंगे|
- प्राधिकार जो चुनाव के लिए जिम्मेदार है वे ध्यान पूर्वक और दस्तावेजों की जाँच करेंगे |

- संबंधित अधिकारी तब टीवीसी के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को नियुक्ति करती है, एक से ज्यादा आवदेन पत्र प्राप्ति की सूरत में अध्यक्ष की उपिस्थित वेंडरो में से हाथ उठा कर चयन किया जाता है |

जोधपुर और दिल्ली का एक उदाहरण:

टाउन वेंडिंग समिति के गठन के बारे में सवाल रखने वाले लोगों को टीवीसी के गठन के लिए प्रक्रियाओं के बारे में नियमों पर चर्चा करना चाहिए | एक बड़ी समस्या यह उठती है कि किस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों को किस तरीके से शामिल करना है जिन्हें चुना जाना है न कि नामांकित किया जाना है |

जोधपुर शहर में, एडीएम सिटी (द्वितीय) ने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम , 2014 की धारा 22 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन की शुरुआत की। एडीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करने वाले संगठनों के बारे में पूछताछ करने वाले बाजारों का दौरा किया | पहले चरण में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करने वाले विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को उन सभी विक्रेताओं की सूची जिसमे उनके नाम , पता, लिंग, वेंडिंग के प्रकार तैयार करने के लिए कहा गया था जो उनके संगठन के सदस्यों बताते थे। वैसे वेंडर्स जो किसी भी संगठन से नहीं जुड़े थे उनसे सीधे अपने विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया था | इस प्रक्रिया के अंत में लगभग 400 विक्रेताओं की पहचान की गई थी।

सभी स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों को आमंत्रित किया एवं टीवीसी के लिए सदस्यों को नामित करने के लिए कहा गया | वेंडर संगठनों ने 12 लोग आगामी टीवीसी के सदस्य के लिए नामित किए | एडीएम ने टीवीसी के गठन की प्रक्रिया उदेश्य और मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के बारे में चर्चा करने के लिए को सभी के साथ एक बैठक का आयोजन किया | 2 लोग आखिरी क्षण में अपना नामांकन वापस ले लिया | सत्यापन प्रक्रिया के बाद एडीएम द्वारा सभी 10 उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया | सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया कि कि नामांकित सदस्य का नाम सर्वेक्षण

सूची पर मौजूद है या नहीं , और यह नगर प्राधिकरण और पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सत्यापन व स्पष्ट किया गया।

18/04/2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक अधिसूचना में कहा गया है कि जोधपुर शहर में एक नगर वेंडिंग कमेटी की स्थापना की जानी है, जहां स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों के अलावा , ट्रेड यूनियनों, आरडब्ल्यूए और एनजीओ के 2 सदस्यों को टीवीसी के लिए भी चुना जाएगा | इच्छुक सदस्य TVC के लिए अपने नामों को नामित कर सकते हैं, दिनांक 29/04/2016 तक वापस लिया जा सकता है| अंतिम रूप से नामित उम्मीदवारों को अपनी निर्दोषता और स्ट्रीट वेंडर्स संगठन के साथ सदस्यता के बारे में स्व-घोषणा प्रस्तुत करना होगा| इसके बाद मतदान होगा और केवल वेंडरों को वोट देने का हकदार होगा।

2 मई 2016 को, टीवीसी सदस्यों को टीवीसी के लिए चुना गया और 5 मई 2016 को चयनित सदस्यों को चुनावी पहचान पत्र प्रदान किया गया, और 11 मई 2016 को टीवीसी की सूची बनाई गई । टीवीसी को अंततः जोधपुर शहर में विभिन्न हितधारकों की सदस्यता के साथ बनाया गया |

टी.वी.सी. के गठन के बाद नागरिकों और वेंडर्स को सन्देश व सुचना देने के लिए शहर में एक प्रदर्शन किया गया | चुनाव की पूरी प्रक्रिया 2 मई 2016 तक पूरी हो गई और 11 मई 2016 को टीवीसी का गठन किया गया |

Public Notice for Constitution of First Town Vending Committee for NEW Delhi Municipal Council

It is hereby informed to all that first Town Vending Committee will be constituted for New Delhi Municipal Council area as per Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules 2017, notified by Govt. of NCT of Delhi dated in 10.01. 2018. The Eligible street vendors for participating in the election process will be in terms of the Rules notified and as per the decision of Hon'ble High Court in the matter of Janodaya Ekta Samiti (Regd.) in WP(C) No. 6622/2015 dated 05.09.2017. Accordingly the list of voters who are eligible for casting vote, was uploaded on NDMC's Website on 27.03.2018 beides available on the notice board of returning Officer and Enforcement Department.

The Election will be held for election of 12 members from the Street Vendors. The reservation in TVC shall be accordance with Street Vendors Act-2014 and as per the notified the street vendors Rules of 2017, details which are as under

Sl. No.	Category	Number of members to be elected
1	General- Woman	Two (2)
2	General- Physically Handicapped	One (1)
3	General (Unreserved)	Two (2)
4	General- Minority	One (1)
5	Scheduled Tribes	One (1)
6	Scheduled Castes	Two (2)
7	Other Backward Classes	One (1)
8	Other Backward Classes- Woman	Two (2)
	Total	Twelve (12)

For participating in the election process as per schedule, the voter shall possess/carry any one of the following original documents:
(i) Tehbazari license issued by New Delhi Municipal Corporation
(ii) Voter I-card iii. Aadhar Card (iv) Driving license
(v) Passport (vi) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office
vii. PAN card (viii) Smart card issued by RGI under NPR
(ix) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labor and Employment, Government of India.

Any person who does not carry any one of the above mentioned original documents, such person will not be allowed to cast the vote/participate in the election process.
The Schedule for election of 12 members for First Town Vending Committee, New Delhi Municipal Council is as under:-

Date of publication of list of street vendors as per Rule 13 of Delhi Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017	The list was published on NDMC's Website on 27th March, 2018 (Tuesday)
Date, place and time of filing nomination	From 10th August, 2018 (Friday) onwards till last date and time of filing Nomination. Place: Office of Returning Officer* Office Hours (09:00 am to 05:00 pm, except lunch hours from 01:00 pm to 01:30 pm) during official working days (Monday to Friday, except public holidays)
Last date and tome of filing nomination	20th August, 2018 (Monday) till 05:00
Date of scrutiny of Nominations and publication of final list of eligible candidates	21st August, 2018 (Tuesday) starting at 11:00 am Place: Office of Returning Officer*
Last date of with drawl	23rd August, 2018 (Thursday) on or before 05:00 pm
Closure of Canvassing	29th August, 2018 (Wednesday) on or before 05:00 pm
Date of Polling	31st August, 2018 (Friday)
Place of Polling	Navyug School, Sarojini Nagar, New Delhi- 110023
Time period of polling	09:00 AM to 05:00 Pm
Date of counting of votes	31st August, 2018 (Friday) at Navyug School, Sarojini Nagar, New Delhi-110023 after one hour from the casting of last vote
Date on which election results will be announced	31st August, 2018 (Friday)
*Office of Returning Officer New Delhi Municipal Council Room No. 3010, 3rd Floor, Palika Kendra Sansad Marg, New Delhi – 110001	(Y.V.V.J Rajasekhar) Returning Officer TVC Elections, NDMC

<u>दिल्ली</u> – अगस्त 2018 मे दिल्ली मे टीवीसी के चुनाव भी इसी प्रक्रिया के तहत हुए |

<u>बिहार</u>

यदपि बिहार सरकार ने एक **अधिसूचना संख्या 1581/1582/1583 दिनांक 16.07.2014**के माध्यम से पटना नगर निगम, राज्य के अन्य नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में टाऊन वेंडिंग समिति के गठन के लिए एक आदेश जारी किये हैं। (अधिसूचना संलग्न)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या – 1581 /न० वि० एवं आ० वि० पटना दिनांक–16/7/14

भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की शहरी फुटपाथ विक्रेताओं की राष्ट्रीय नीति, 2009 के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में शहरी फुटपाथ विक्रेता ( ) का गठन किया जाना है। उक्त समिति राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में पत्रांक 4/वि०26/2011-1967 दिनांक –01.11.2013 के द्वारा समितियों का गठन किया गया है जो बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2012 के अन्तर्गत था। भारत सरकार द्वारा The Street Vendors Act 2014 लागू कियागयाहै। अतः पूर्व की समितियों के स्थान पर The Street Vendors Act 2014 धारा–22(2) के अन्तर्गत पटना नगर निगम हेतु निम्न प्रकार से समितियों का गठन किया जाता है।

1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष	1
2	सिटी मैनेजर/राजस्व पदाधिकरी	सदस्य	4
3	सिविल सर्जन/मेडिकल ऑफिसर	सदस्य	1
4	जिला नियोजन पदाधिकारी/नगर निकाय अभियंता	सदस्य	1
5	पुलिस अधीक्षक**अथवा मनोनीत पदाधिकारी**	सदस्य	1
6	यातायात पुलिस अधीक्षक	सदस्य	1
7	टाग्रिणी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य	1
8	चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि	सदस्य	1

9	राष्ट्रीय अनौपचारिक श्रमिक संघ(National union of informal workers- NUIW)	सदस्य	1
10	स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य	4
11	फुटपाथ विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि /शहरी फुटपाथ विक्रेता फडरेशन (Town Level Federation of Street Vendors) (इस श्रेणी में एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य है)	सदस्य	12
		कुल	28

नोट– क्र० स० 10 एवं 11 के सदस्यों का मनोनयन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

टाउन वेंडिंग समिति की बैठक:

टाउन वेंडिंग समिति की मासिक बैठक जरुरी है| शुरूआती दौर में या बैठक पाक्षिक हो तो निर्णय लेने व कानून के शीघ्रता से अनुपालन हो सकेगा | यदपि कई राज्यो ने नियमावली मे त्रिमासिक बैठक निर्धारित किया है | बैठक में सभी हितभागियो को उपस्थित होना आवश्यक है, सभी हितभागी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है | अतः बैठक निर्धारित करने से पूर्व हितभागियो के समय व उपस्तिथि का जरुर ध्यान रखा जाय| बैठक का एजेंडा पूर्व में ही भेज दिया जाय ताकि हितभागी / विभाग से सम्बंधित मामले पर पूरी तैयारी के साथ बैठक में भागीदारी कर सके|

बैठक शुरू करने से पूर्व पिछली बैठक के मिनट्स को जरुर संज्ञान में लिया जाय, इससे आगे निर्णय लेने हे सहूलियत होगी, प्रत्येक तीन महीने पर मुख्या निर्णय को पुनः अवलोकन (रिव्यु) किया जाय या पढ़ कर सुनाया ताकि कोई नया सदस्य इस बीच में जुडता है तो उसे भी पुराने निर्णयों की जानकारी हो|

फूटपाथ दुकानदारो को खास तौर पर पूरी तैयारी के साथ जैसे फूटपाथ दुकानदारो की संख्या, वेंडिंग जोन हेतु भूमि, भूमि का आकर, आधिपत्य इत्यादि की जानकारी लेकर साथ ही जवलंत मुद्दों पर अपनी राय जरुर रखनी चाहिए |

बैठक की एक कॉपी होनी चाहिए जिसपर बैठक में लिए गए सभी निर्णय व चर्चा स्पस्ट रूप से लिखे होने चाहिए, साथ ही सभी के हस्ताक्षर होने चाहिए| बैठक के बाद शीघ्रता से बैठक में लिए गए निर्णय की प्रति सभी को देनी चाहिए|

टाउन वेंडिग कमिटी व अध्यक्ष एवं सदस्यों की भूमिका–

अध्यक्ष (आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी)

- टाउन वेंडिग कमीटी (TVC) की बैठक बुलाना
- सभी हितभागियों के बीच समन्वय स्थापित करना
- (TVC) के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर (विषेशतः फुटपाथ दुकानदार सदस्यों) बैठक का एजेंन्डा बनाना, वितरित करना एवं उसे संज्ञान में लेना।

- बठक में चर्चा में लाये गये मुद्दे, लिये गये निर्णय की प्रति सभी सदस्यों तक पहुँचवाना सुनिश्चित करना साथ ही जिला अधिकारी को बैठक से अवगत करवाना, विशेषतः वेंडिग एवं गैर वेंडिग क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में।
- फुटपाथ दुकानदार प्रतिनिधि के साथ मिलकर टाउन वेंडिग कमीटी के खाता का संचालन करना।

सीटी मैनेजर/राजस्व पदाधिकारी

- टाउन वेंडिग कमीटी (TVC) के बैठक के सफल संचालन में आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को सहयोग करना या उनके द्वारा निर्देशित कार्यों का संपादन करना।
- फुटपाथ दुकानदारों से सर्वेक्षण (वायोमैट्रिक) पर नजर रखना या अपने नेतृत्व में संपादित करवाना व सत्यापित करना या करवाना।
- फुटपाथ दुकानदारों व TVC से संबंधित सभी तरह के अभिलेखों को रखना
- फुटपाथ दुकानदारों का परिचय–पत्र व निबंधन/पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी बनावाना व करवाना

सिविल सर्जन (शल्य चिकित्सक पदाधिकारी/ चिकित्सा पदाधिकारी)

- सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य व स्वच्छता कार्यक्रम के संदर्भ में जागरूकता फैलाना (इस कार्य में टाउन लेबल फेडरेशन, TVC एवं अन्य स्ट्रीट वेंडर्स संगठन या प्रतिनिधियों की मदद ली जा सकती है।)
- खाद्य पदार्थ विक्री करने वाले फुटपाथ दुकानदारों को FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक मापदन्ड) के अंतर्गत पंजीकरण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना या करवाना।

जिला योजना पदाधिकारी/नगर निकाय अभियंता

- फुटपाथ दुकानदारों के सर्वेक्षण की योजना बनाना, वेंडिग व गैर–वेंडिग क्षेत्रों की पहचान कर उसका मूल्यांकन/योजना बनाना विभिन्न विभागों के साथ (यथा जिला प्रशासन, PWD, CPWD, भूमिका सुधार, पुल निर्माण, निगम विभाग इत्यादि के साथ) समन्वय बनाना व आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेकर वेंडिग जोन का निर्माण करवाना।
- वेंडिग जोन में सामान्य न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं (बिजली, पानी, शौचालय) की व्यवस्था करना
- वेंडिग जोन की फुटपाथ दुकानदारों को स्वनियम हेतु बैठक करना या आवश्यमानुसार नियमावली बनाना।

पुलिस अधिक्षक/ मनोनित पदाधिकारी

- टाउन वेंडिग कमीटी में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका है। कानून व्यवस्था एवं यातायात के सफल संचालन की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होती है?–
- यातायात व वेंडिग के बीच समन्वय स्थापित करना
- अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में समय/दिन के हिसाब से बेंडिग को अनुमति प्रदान करना

- यातायत संचालन व जागरूकता कार्यक्रमों में टाउन लेबल फेडरेशन व स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन को शामिल करना व उनकी मदद लेना।

अग्रणी बैंक प्रतिनिधि

वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बैंकों की भूमिका रीढ़ की हड्डी की समान है।

- फुटपाथ दुकानदारों को बैंकों में खाता खोलना
- फुटपाथ दुकानदारों को आजीविका बढाने व संचालन हेतु ऋण उपलब्ध करवाना
- सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सम्बलता प्रदान करना विशेषता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना DIR ऋण।
- प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के जुड़ाव हेतु प्रोत्साहित करना।
- वित्तिय समावेशन हेतु कैम्प या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि

- भारत में व्यवसायिक क्षेत्रों में चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित संघ है। यह संघ किसी व्यवसाय व व्यवसायिक की विभिन्न तरीकों से सुरक्षा व सहयोग प्रदान करता है।
- यह संघ टाउन वेंडिग कमीटी में स्ट्रीट वेंडरों के संरक्षण, उनके व्यवसाय को ऑपचारिक रूप देने एवं चिन्हित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
- यह स्ट्रीट वेंडरों के प्रतिकुल उठने वाले कार्यों में अपना हस्ताक्षेप कर सकता है।
- स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय को बढ़ाने हेतु ऋण योजना, सुरक्षा योजना बनाकर सरकार को भेज सकता है। यह सरकार एवं स्ट्रीट वेंडर्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है।

सामुदायिक संगठन व गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधि–

येअंसगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, व सेवा प्रदायकों के बेहतर जीवन यापन हेतु सरकार व नीति निर्माताओं के साथ वकालत का काम करता है। इसकी भूमिका निम्न रूपों में हो सकती है–

- फुटपाथ दुकानदारों को संगठित करना, उन्हें मार्केट कमीटी/शहर स्तरीय संघ से जोड़ना
- मार्केट कमीटी/शहर स्तरीय संघ से जोड़ना
- मार्केट कमीटी/ शहर स्तरीय संघ को प्रशिक्षण प्रदान करना
- फुटपाथ दुकानदारों के बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, पेशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में सरकार व संगठनों के बीच कड़ी का कार्य
- फुटपाथ दुकानदार संगठनों को राज्य व राष्ट्र स्तर पर मंच प्रदान करना।
- सामुदायिक संगठन व गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि नगर निकायों, फुटपाथ दुकानदारों एवं आम जनता के बीच सरलीकरण (Facilitation) का कार्य कर सकते हैं। आम नागरिकों को उनके दायित्व के प्रति जागरूक करने/बताने, फुटपाथ दुकानदारो को कर्तव्य बोध करवाने एवं उनके आजीविका को सुरक्षित करने, बढ़ावा देने संबंधी सुरक्षा नगर निकाय व सरकार तक पहुँचाये।

फुटपाथ दुकानदार प्रतिनिधि/टाउन लेवल फेडरेशन के प्रतिनिधिः–

टाउन वेंडिग कमीटी में फुटपाथ दुकानदार प्रतिनिधि की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह विदित है कि TVC का गठन फुटपाथ दुकानदारों के नियमन एवं उनके कल्याण के लिए हुआ है। बिहार में अधिसूचना के तरह इनके चयन की जिम्मेवारी जिलाधिकारी को दी गई है। फिर भी फुटपाथ दुकानदारों प्रतिनिधियों को TVC की बैठक, चर्चा किये जाने वाले मद्दे, लिये गये निर्णय पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। सामान्यतः यह देखना जाता है कि – वरीय पदाधिकारियों के समक्ष दुकानदार अपनी बातों को सहजता पूर्वक नहीं रख पाते, या रखने का मौका नहीं निकाल पाते। अतः इन्हें बहुत ही सशक्त होने की आवश्यकता है–

TVC के अन्य सदस्य व संगठनों के साथ बेहतर तालमेल

- शहर के विषय में विस्तृत जानकारी, विशेषतः जिस स्थान पर वेंडिंग हो रही है, वह जमीन किसी है, कितने वेंडर्स की व्यवस्था हो सकती है, वेंडर्स की चुनौतियां क्या है या क्या हो सकती है।
- संवाद शैली सहज, सरल व तार्किक हो।
- बैठक म आने के पूर्व एजेंडा पर अपने अन्य सदस्यों (मार्केट/संघ) से विचार विमर्श कर के आये।
- समिति को वेंडर्स अथवा वेंडिग क्षेत्र के विषय में ऐसी जानकारी दे जिससे निर्णय लेने में सुविधा हो।
- नगर निकाय की वेंडर्स के सत्यापन, परिचय–पत्र वितरण या अन्य कार्यों में सहयोग करें।
- किसी गलत व्यक्ति का सर्वेक्षण न हो या परिचय–पत्र न मिले, इसका ध्यान रखना ।
- बैठक की कार्यवाही से अपने संघ/मार्केट को अवगत करवाना।

लीगल सेल एवं हितों का निपटारा

अधिनियम की **अध्याय 5** धारा 20 में पथ विक्रेताओं को पुलिस और अन्य प्राधिकारणों के उत्पीड़न से संरक्षण देने की व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे किसी भी कानून के अंतर्गत प्राधिकारियों के उत्पीड़न के डर के बिना अपने कारोबार को कर सकें।पथ विक्रेताओं की शिकायतों का गैर–पक्षपात ढंग से निपटान करने के लिए सेवा–निवृत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विवाद निपटान तंत्र की सीपना करने का प्रावधान है।

स्ट्रीट वेण्डर्स के किसी प्रस्ताव या झगड़ा टाउन वेंडिग कमिटी सिविल जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक दण्डाधिकारी एवं दो अन्य न्याय संबंधी का कमिटी बनाया जा सकता है। परंतु कोई भी सरकारी सेवक या स्थानीय प्राधिकार के सदस्य को कमिटी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।

स्ट्रीट वेंडर (आजीविका की सुरक्षा एवं स्ट्रीट वेंडिग का नियमन) अधिनियम–2014

स्ट्रीट वेंडर कानून 2014,भारत के करोड़ों फूटपाथ दुकानदारों (स्ट्रीटवेंडर्स)को संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा, रोजगार को सुरक्षित, नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक केंद्रीय कानून है। यह कानून स्ट्रीट वेंडर (आजीविका का संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम 2014 के नाम से जाना जाता है, जो समस्त भारत में (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) 1 मई 2014 सेप्रभावी है।केन्द्रीय अधिनियम से पथ विक्रेताओं को गौरवपूर्ण तरीके से अपना व्यवसाय करने के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा होगा और इससे देशभर में पथ विक्रेताओं को आजीविका संरक्षण प्रदान करने में सहायता मिलने की संभावना है।

फुटपाथ दुकानदार की परिभाषा– स्ट्रीट वेंडर यानि एक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सड़क, गली पगडंडी, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्क या सार्वजनिक स्थल पर आम जनता के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएँ, खाद्य पदार्थ को एक अस्थायी निर्मित संरचना से या जगह–जगह घूमकर या निजी क्षेत्र, बेचना या या सेवाएँ प्रदान करता है। भारत के अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग नाम से जाना जाता है। जैसे–फूटपाथ दुकानदार, हॉकर, फेरीवाला, रेहड़ी पटरी वाला, लारी गल्ला, उठा दोकानी इत्यादि।

कानून 2014 के मुख्य प्रावधान–

नगर विक्रय समिति (टीवीसी) का गठन – अध्याय 7 धारा 22

- अधिनियम में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में नगर विक्रय समिति (टीवीसी) का गठन करनें का प्रावधान है जिसकी इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में मुख्य भूमिका होगी।
- इसमें ऐसी व्यवस्था है कि नगर विक्रय समिति (टीवीसी) में 40 प्रतिशत सदस्य पथ विक्रेताओं में से लिए जाएँगे। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को भो उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिनमें से एक तिहाई महिलाएँ होगी।
- टाउन वेंडिग कमिटी में स्वयं सेवी संगठनों एवं सामुदायिक आधारित संगठन से 10 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य नहीं होगे।
- भागीदारी से निर्णय लेने के लिए नगर विक्रय समिति में पथ विक्रय से संबंधित सभी कार्यों जैसे प्राकृतिक बाजार का निर्धारण, विक्रय क्षेत्रों की पहचान, पथ विक्रय योजना तैयार करना, पथ– विक्रेताओं का सर्वेक्षण आदि शामिल करना आवश्यक है।
- प्रत्येक 5 वर्ष पर टाउन वेंडिग कमिटी के अनुशंसा पर स्थानीय प्राधिकार अनुसूची 1 के तहत वेण्डर्स के निहित अधिकार के योजना हेतु एक कमिटी बना सकती है।

फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण व वेंडिग प्रमाण पत्र

- इस अधिनियम में सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक है और बाद में प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार और सर्वेक्षण करने की व्यवस्था है
- साथ ही ऐसे सर्वेक्षण में पहचाने गए जिसकी आयु 14 वर्ष पूरी हो चुकी है सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय करने का प्रमाण–पत्र व पहचान पत्र जारी करने का भी प्रावधान है
- विक्रय प्रमाण–पत्र जारी करने में अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्कों आदि को प्राथमिकआ दी जाएगी।
- वेंडिग प्रमाण पत्र के जारी करने के पूर्व प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स को एक वचन पत्र टाउन वेंडिग कमिटी को देना होगा।

- स्ट्रीट वेण्डर्स की मृत्यु हाने पर फेरी प्रमाण पत्र उसके जीवनसाथी या उनके आश्रित के बच्चें को स्थानातंरित किया जा सकता ।
- टाउन वेंडिग कमिटी, के क्षेत्र के अंतर्गत संख्या से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स होने की स्थिति में एक प्रकाशनार्थ जारी कर सकता है।

फुटपाथ दुकानदारों का पुर्नस्थापित या बेदखल

- यह व्यवस्था की गई है कि जब तक सर्वेक्षण पूरे नहीं कर लिए जाते और पथ विक्रेताओं को वेंडिग प्रमाण–पत्र जारी नहीं कर दिए जाते किसी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं किया जाएगा। (धारा 3. 3)
- शहर में वेंडिग जोन का अवस्थापना विकास करस्ट्रीट वेण्डर्स को कारोबार करने को व्यवस्था है।
- फेरी प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 30 दिन पूर्व सूचना दिये बगैर किसी भी वेण्डर्स को उनके स्थान से स्थानातंरण या हटाया नहीं जा सकता ।
- यदि कोई वेण्डर्स नियम उल्लंधन और विधेयक में वर्णित नियम को नहीं मानता हैतोटाउन वेंडिग कमिटी वेण्डर्स का फेरी प्रमाण पत्र निरस्त या स्थगित कर सकता है ।
- नए स्थान पर बसाने, बेदखल करने और सामान को जब्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसे पथ विक्रेता के अनुकूल बनाया गया है। यह प्रस्तावित है कि टीवीसी की सिफारिश की आवश्यकता शर्त पर ही स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी।
- पथ विक्रेताओं को पुनः बसाने के लिए अंतिम प्रयास किया जाना चाहिए। तदनुसार ''पुनः बसाने'' के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं।

स्वतंत्र विवाद निपटान तंत्र अध्याय 5 धारा 20

- असंतुष्ट स्ट्रीट वेण्डर्स को अधिकार है कि उनके मामले के निष्पादन के पहले स्थानीय प्राधिकार के समक्ष उनके मामले को रखा सुना जायेगा।
- स्ट्रीट वेण्डर्स के किसी प्रस्ताव या झगड़ा टाउन वेंडिग कमिटी सिविल जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक दण्डाधिकारी एवं दो अन्य न्याय संबंधी का कमिटी बनाया जा सकता है। परंतु कोइ भी सरकारी सेवक या स्थानीय प्राधिकार के सदस्य को कमिटी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।

शुल्क, दंड व जब्ती,

- प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स को फेरी हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा एवं फेरी शुल्क के नवीनीकरण हेतु शुल्क का भुगतान करना होगा।
- वेंडिग शुल्क सभी उन स्ट्रोट वेण्डर्स को देना होगा जिनको कि वैघ फेरी प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि तक जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भुगतान शुल्क राशि जमा करने पर ही होगा।
- प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स जो फेरी क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें फेरी प्रमाण पत्र के नियम एवं शर्तें को मानना होगा एवं प्रमाण पत्र पुलिस एवं अन्य प्राधिकार द्वारा प्रताड़ना से बचाव करेगा।
- अगर कोई वेण्डर्स फेरी प्रमाण पत्र का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें 2000/रु. जुर्माना लगाया जाएगा।
- स्थानीय प्राधिकार द्वारा किसी भी वेण्डर्स की सामानों की यदि जब्ती, जो कि उसी दिन खराब हो कसती है वैसे सामान को उसी दिन निर्मुक्त किया जायेगा।

- प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स को फेरी क्षेत्र एवं इसके आसपास की सफाई, जन स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं एवं सार्वजनिक सम्पति का ध्यान रखना होगा एवं समय–समय पर दिये जाने वाले सुख सुविधा का ध्यान रखना होगा।
- विधयेक का प्रावधान आपको कोई भी मालिकाना अधिकार इत्यादि नहीं प्रदान करता है।

स्ट्रीट वेंडिंग नियमन की अवधारणा (ड्राफ्ट) : वेंडिंग जोन– नो वेंडिंग से तात्पर्य

जिला प्रशासन, नगर निकाय, टाउन वेंडिंग कमिटी या किसी प्रशासनिक विभाग द्वारा की खास क्षेत्र को फेरो / वेंडिंग के लिए अधिकृत किया गया हो, उसे वेंडिंग जोन कहा जायेगा, यह विशेष दिवस आधारित या समय आधारित भी हो सकता है, इसके विपरीत जिन जगहों पर स्ट्रीट वेंडिंग/ फेरी के लिए मनाही हो वह क्षेत्र नो वेंडिंग जोन कहनायेगा।

वेंडिंग जोन चिन्हित करना

वेडिंग जोन क्षेत्रों और मानकों (मात्रात्मक) को निश्चित शहरों के अनुसार चिह्नित किया जाए। विभिन्न शहरोंवनगरनिकायके फुटपाथ दुकानदारों के लिए सहायक और पर्याप्त योजना बनाने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

- सर्वेक्षण केबादहरशहर व नगर निकाय कोअपना स्वयं तैयार करना चाहिए।
- बनाए गए मानक व्यावहारिक और इसके अंतर्गत शहर के सभी तत्कालीन फुटपाथ दुकानदार आने चाहिए।
- शहर वनगरनिकायकी आबादो का कम–से–कम 2.5 प्रतिशत जनसंख्या को फेरी क्षेत्र में जगह
- शहरों के विकास के साथ नए क्षेत्रों में फुटपाथ दुकानदारा के लिए पर्याप्त जगह दिया जाना चाहिए।
- कितने लोग वहाँ खरीददारी करने आएँगे यह अनुमान होनी चाहिए ।
- प्रयोग में लाए जा रहे जगहों पर आश्रित वेंडरों की संख्या निश्चित की जानी चाहिए ।
- शहर में अधिकाधिक व पर्याप्त संख्या में फुटपाथ दुकानदारों को जगह दिया जाना चाहिए।
- पार्किंग व दूसरे खुले स्थानों का ऐसे समय में बाजार के रुप में उपयोग जब वहां कार्य न हो रहा हो ।
- शहर में यातायात को ध्यान में रख फेरी के लिए समय निश्चित करना ।
- साप्ताहिक बाजारों का प्रावधान ।
- जो क्षेत्र 'फेरी निषेधित' नहीं हैं, वहां फेरी को मान्यता दिया जाना चाहिए।
- इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कुछ स्थानों पर फुटपाथ दुकानदारों को पाये जाने की स्वाभाविक प्रवणता होगी। स्वाभाविक बाजारों को हटाए जाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की जरुरत है।

वेंडिंग जोन मेंसुविधा	वेंडिंग जोन मेंनियंत्रण प्रक्रिया
• कूड़ा–कचरा निष्पादन के लिए प्रावधान । • सफाई बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शौचालयों	• **वैगर प्रमाण पत्र के वेंडिंग जोन में दुकानदारी निषेध** • **मार्किट समिति को उक्त मार्किट में स्व- नियमन की**

का प्रावधान । • चलन्त गाड़ियों और ठेला गाड़ियों के सौंदर्यपरक डिजायन निर्माण । • बिजली सुविधा का प्रावधान । • पीने के पानी का प्रावधान । • उनके सामानों की और उनकी गर्मी, पानी व धूल से रक्षा के लिए सुरक्षात्मक कवरों के प्रावधान ।	**जिमेवारी** • वेंडिंग जोनमें सुधारात्मक कार्यवाई करना । • जरुरत पड़ने पर शहर स्तरीय समिति को सूचना देना । • खास फेरी नियम में बदलाव/पुर्नमूल्यांकन के लिए अनुमोदन करना ।

नो - वेंडिंग जोन की घोषणा निम्नलिखित सिद्धांतों के अधीन होगा (पहली अनुसुची - 3)

किसी भी मौजूदा बाजार, प्राकृतिक बाजार जो सर्वेक्षण के तहत पहचान की गई है , को नो वेंडिंग जोन के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा | वार्ड वार या क्षेत्र वार हरी सब्जी या फल वेंडिंग निर्धारित किया जाएगा तथा इसे सार्वजनिक उपयुक्तता से दूर रखा जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी ऐसी वेंडिंग स्थानों के प्रबंधन के लिए विशेष ख्याल रखना होगा |

- टाउन वेंडिंग समिति , विशेष या त्योहारी सीजन में बाजार के लिए विशेष वेंडिंग जोनों के प्रयोजन के लिएशहर के विभिन्न भागों में एक सीमित अवधि के लिए वेंडिंग क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकता है |
- नो - वेंडिंग जोन की घोषणा एक सिलसिलेवार तरीके से की जाएगी जिसमे न्यूनतम मात्र में पथ विक्रेताओ को विस्थापित किया जाएगा |
- किसी भी जगह या क्षेत्र में की भीड़भाड़ अधिक है, इस आधार पर नो वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया जायेगा, यदपि वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करते समय कुछ प्रतिबन्ध आवश्यक है|
- स्वच्छता व साफ सफाई के मुद्दे को आधार बनाकर किसी क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन के रूप में घोषित नहीं होगा |
- जब तक मौजूदा स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण नहीं हो जाता एवं स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना नहीं बन जाता तब तक किसी क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया जा सकता |

वेंडिंग जोन एवं वेंडिंग जोन की धारक क्षमता (ड्राफ्ट)

वेंडिंग क्षेत्र एवं उसमे वेंडरो की समुचित संख्या का निर्धारण टाउन वेंडिंग समिति सड़क या गली पर उपलब्ध भूमि के अनुसार करेगी| कुछ मानदंड इस प्रकार है-

प्रत्येक विक्रेता को अधिकतम 2.2 वर्ग मीटर, (1.8 मीटर x 1.2 मीटर के आयाम के साथ) वेंडिंग क्षेत्र ' के रूप स्थान प्रदान की जाएगी | प्रत्येक स्टाल/ ठेला के आगे 1 मीटर का जगह सुरक्षित होगा ताकि उपभोगता खड़े होकर सामान खरीद सके | सुरक्षित स्थान के आगे 1 या 2 मीटर की जगह पैदल चलने वालो के लिए सुरक्षित होगा | टाउन वेंडिंग कमेटी निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में से किसी सड़क को वर्गीकृत करेगी –

- प्रतिबंध फ्री वेंडिंग जोन
- प्रतिबंधित वेंडिंग जोन
- नो वेंडिंग जोन

प्रतिबंध फ्री वेंडिंग जोन :

किसी क्षेत्र की क्षमता के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर की अधिकतम संख्या को व्यवस्थित किया जाया जहा वे बिना किसी भी अड़चन या बाधा के अपना रोजगार निर्विवाद रूप से चला सके वह क्षेत्र प्रतिबन्ध मुक्त वेंडिंग जोन कहलायेगा |

प्रतिबंधित वेंडिंग जोन :

प्रतिबंधित वेंडिंग जोन सड़क की चौड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ कुछ मानदंडों को माना जा सकता है, जिसे टाउन वेंडिंग समिति की बैठक मे निर्णय लिया जाना चाहिए | यह हर शहर के लिए अलग अलग हो सकता है|

नेचुरल मार्किट या स्वाभाविक बाजार

फुटपाथ दुकानदार ऐसे स्थानों पर व्यवसाय करते हैं, जहां लोगों का जमावड़ा होता है। इन स्थानों के स्वाभाविक बाजार में तब्दील होने की संभावना होती है, **ये नेचुरल मार्किट या**स्वाभाविक बाजार**कहलाते है** | बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों के पास इस कारण फुटपाथ दुकानदारों की संख्या काफी रहती है, काम से घर लौटने के क्रम में लोगों को इन स्थानों पर फुटपाथ दुकानदारों से सामान खरीदना सुविधाजनक लगता है। इसी तरह, अस्पताल के आसपास फल और हरे नारियल बेचने वाले फुटपाथ दुकानदार पाये जाएंगे और पूजा वाले जगहों, खासकर मंदिरों के पास फल और फूल बेचने वाले तथा नगर निगम के बाजारों में बड़ी संख्या में सब्जी, फल और मसाले आदि बेचने वाले फुटपाथ दुकानदार पाये जाएंगे।

शहरी स्थानीय निकायों और दूसरे अधिकारी इन्हें अतिक्रमणकर्ता के रुप में देखते हैं और इनकी मंशा फुटपाथ दुकानदारों को इन जगहों से हटाने की होती है। इस बात को मान्यता मिलनी चाहिए कि ऐसे बाजारों का अस्तित्व मुख्यतः इसलिए है, क्योंकि वे अपने ग्राहकों, खासकर गरीब तबकों को मूल्यवान सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रमुख शहरी जनसंख्या को महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने वाले इन बाजारों के अस्तित्व की पहचान की जरुरत है। स्वाभाविक बाजारों को हटाए जाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की जरुरत है।

आप के सवाल एवं संभावित जवाब

प्र॰ टी वी.सी. गठन न हो या गठन मे देरी हो रही हो तो क्या करे?

उ॰ टीवीसी का गठन राज्य सरकार द्वारा गठित नियमावली के अंतर्गत जारी किए गए अधिसूचना के माध्यम से होना है| यदि नियमावली बन गई हो तो उसका हवाला देते हुए आप नगर निकाय के आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / जिला अधिकारी / सचिव –नगर विकास या नगरिया प्रशासन को अपने संघ के तरफ से पत्र लिखे | आप सूचना के अधिकार -2005 के अंतर्गत नगर निकाय से व्यक्तिगत रूप से भी सूचना मांग सकते है | आप जन तांत्रिक तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते है एवं अंत मे न्यायालय का भी मदद ले सकते है|

प्र॰ अगर नगर आयुक्त के द्वरा टी.वी.सी. की बैठक बुलाने में देर किया जाता है तोक्या किया जाना चाहिए |

उ. टी.वी.सी. के वेंडरो प्रतिनिधियों के द्वारा इसके लिए निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना चाहिए :

- बैठक के निर्धारित समयावधि के एक सप्ताह बीतने के बाद किसी भी प्रकार के सुगबुगाहट के आभाव में प्रतिनिधियों को टी.वी.सी. अध्यक्ष के नाम पहला पत्र लिखना चाहिए | ध्यान रहे की टीवीसी अध्यक्ष ही नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक होते है अतः उनको हमेशा पत्र अध्यक्ष टीवीसी सह नगर आयुक्त / मुख्य कार्यपालक के सम्बोधन से ही पत्र लिखे | कोई भी कार्यालय संबधि पत्र अधिकारी के नाम से संबोधित कर के नहीं वरन पदनाम से ही लिखना चाहिए |
- पहला पत्र जमा तिथि से एक सप्ताह तक इंतजार करने के बाद अगर कोई प्रगति नजर नहीं आती हैं तो दूसरा पत्र लिखा जाना चाहिए जिसमे पहले पत्र के बारे में वर्णन किया गया हो |
- दूसरे पत्र लिखने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन का इंतजार किया जाना चाहिए एवं इसी बीच टीवीसी के अनय सभी सदस्यो को पत्र लिख कर बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष को पत्र लिखने का अनुरोध

- पहला पत्र जमा तिथि से एक सप्ताह तक इंतजार करने के बाद अगर कोई प्रगति नजर नहीं आती हैं तो दूसरा पत्र लिखा जाना चाहिए जिसमे पहले पत्र के बारे में वर्णन किया गया हो |
- दूसरे पत्र लिखने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन का इंतजार किया जाना चाहिए एवं इसी बीच टीवीसी के अनय सभी सदस्यो को पत्र लिख कर बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष को पत्र लिखने का अनुरोध करना चाहिए | इस बीच वेंडर प्रतिनधियो द्वारा अध्यक्ष से मिलकर बैठक सम्बंधित बात भी की जानी चाहिए |
- उपरोक्त वर्णित बिन्दुओ को करने के बाद अगर किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं होती हैं तो पहले बैठक के तीन महीने बीतने के बाद जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा जाना चाहिए | पत्र देने के एक सप्ताह के अंदर प्रतिनधियो को जिला पदाधिकारी से मिल कर बात करनी चाहिए एवं सचिव –नगर विकास या नगरिया प्रशासन को भी पत्र लिखना चाहिए |

प्र॰ टी. वी.सी. बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने में देरी या लापरवाही की जाती है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ?

उ. सबसे पहले टी.वी.सी. बैठक की प्रोसिडिंग की प्रतिलिपि को वेंडर प्रतिनिधियों के द्वारा संघो एवं एव अन्य मार्केट कमिटियो को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसके की अन्य वेंडर भी टीवीसी के फैसला के बारे में जान सके |

- लिए गए निर्णय के अनुरूप अगर काम नहीं किया जाता हैं तो संघ के पदाधिकरी मासिक बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर सम्बंधित शिकायत को लिखित रूप टीवीसी अध्यक्ष / नगर निकाय व नगरीय प्रशासन को दे एवं मिलकर अपने बात को रखे |
- टी.वी.सी. के वेंडर प्रतिनिधियों को भी इस मुद्दे को मजबूती से अगले टी.वी.सी. बैठक में उठाना चाहिए | वेंडर प्रतिनधियो के आपति को प्रोसिडिंग में दर्ज हो इसका ध्यान रखा जाए|

NOTE: हर हाल में टी.वि.सी. वेंडर प्रतिनिधियों को कानून के अनुसार काम करवाने के लिए सकरात्मक रूप से जंतांत्रिक तरीको के लिए भी तैयार होना चाहिए |

प्र॰ नगर निकाय के द्वारा उपलब्ध कराई गई टी.वी.सी. बैठक की प्रोसिडिंग में वैसे बातों की चर्चा हो जिसके बारे में बैठक में चर्चा न किया गया हो तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ?

उ. प्रत्येक टी.वी.सी. बैठक के समाप्त होने के बाद चर्चा किए गए बिन्दुओ के हस्तलिखित रूप को सबके सामने पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए | तथा उसका एक प्रतिलिपि (रफ) को वेंडर प्रतिनधियो को दिया जाना चहिए| फैसला सुनने के बाद ही अपना हस्ताक्षर करे | अंतिम प्रोसिडिंग में अगर कोई महत्वपूर्ण बदलाव नजर आता है तो रिसीव करने के साथ ही इसकी लिखित शिकायत सम्बंधित अधिकारी को की जानी चाहिए | तथा दूसरी कॉपी सुधार के साथ उपलब्ध करने के लिए दरख्वास किया जाना चाहिए |

प्र॰ नए वेंडरो का सर्वेक्षण कराने में या छूटे हुए वेंडरो का सर्वेक्षण करने में टी.वी.सी. सदस्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए ?

उ. वेंडर प्रतिनधि के द्वारा छूटे हुए या नए वेंडरो की सूचि जिनका सर्वेक्षण किया जाना हो, का अलग – अलग सूचि पूर्ण विवरण के साथ (नाम, मार्केट कमिटी का नाम, मोबाइल न.) टी. वी .सी बैठक में जामा करना चाहिए | जिसका प्रोसिडिंग में वर्णन हो |

- प्रतेक बैठक में पहले से जामा सूचियों एवं वर्तमान जामा किए गए सूचियों को जोडकर कुल संख्या का अद्धातन नंबर प्रोसिडिंग में आना चाहिए |
- जामा किए गए सूचियों की संख्या 100 हो जाने के बाद नगर टी.वी.सी. अध्यक्ष से सर्वेक्षण शिविर लगाने के लिए गुजारिश किया जाना चाहिए |

प्र॰ नगर निकाय के द्वारा किसी तरह के अतिक्रमण हटाने सम्बंधित सूचना क्या टी.वि.सी. सदस्यों को देना जरूरी है |

उ. नगर निकाय को टी.वी.सी. के वेंडर प्रतिनिधि को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए | अतिक्रमण हटाने से सम्बंधित सुचना टी.वी.सी. से साझा करने पर नगर निकाय का कार्य आसान हो सकता है| टी.वी.सी. में आपसी विश्वास, समन्वय बढ़ाने एवं मजबूत करने के लिए सूचना को साझा करना चाहिए | लकिन अतिक्रमण के दौरान यदि स्ट्रीट वेंडोर्स को या कोई मार्केट को हटाना है तो कानून सम्मत इसकी चर्चा टीवीसी मे होनी चाहिए | टीवीसी को सूचित एवं उनकी मंजूरी के बगैर कोई भी मार्केट या स्ट्रीट वेंडोर्स को नहीं हटाया जा सकता | स्ट्रीट वेंडोर्स के संदर्भ मे कोई भी निर्णय टीवीसी की बैठक मे लिया जाना चाहिए |

प्र॰ स्ट्रीट वेंडोर्स को हटाने सम्बंधित प्रक्रिया को क्या पहले टीवीसी बैठक में पास कराया जाना चाहिए ? और अगर इस कार्य को डी.एम के आदेश से किया जाता हैं तो क्या करे |

उ. टी.वी.सी. बैठक में रचनातमक चर्चा कर के इसे पास कराया जा सकता है , हलांकि शुरुवाती समय में यह करना मुश्किल होगा, फिर सम्बंधित सुचना वेंडर प्रतिनधियो को जरूर देना चाहिए | साथ ही शहरो मे अतिक्रमण हटाने का मामला जिला प्रशासन एवं नगर निकाय के संयुक्त कार्यवाही से ही होते है | ऐसे समय मे टीवीसी का अध्यक्ष होने के नाते आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी को जिलाधिकारी को स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के अनुपालन संबंधी जानकारी देनी चाहिए परंतु व्यवहार मे देखा जाता है की ऐसा नहीं होता | अतः स्ट्रीट वेंडोर्स प्रतिनिधि को सदैव जिलाधिकारी एवं संबन्धित पदाधिकारी को मिलकर कार्यवाही की जानकारी देते रहना चाहिए|

प्र॰ कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न्यायलय के आदेश पर होती है एवं अधिकारी इस समय कोई बात नहीं सुनते – इस समय क्या करना चाहिए ?

उ॰ ऐसे हालत मे न्यायलय मे चल रहे मुकदमे मे हस्तक्षेप याचिका दायर करना बहुत जरूरी होता है | यदि अगली तारीख ज्यादा लंबी हो तो जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है परंतु इस काम मे संवेदनशील वकील पहचान जरूरी होती है |

धन्यवाद

नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (नासवी)

101-102, पहली मंजिल, सागर काम्प्लेक्स, न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, प्रीत विहार, नई दिल्ली- 110092

Tel:- 011-47553013, Website:- www.nasvinet.org , Email id:- office@nasvinet.org,
Facebook.com/nasviindia, twitter.com/nasvindia